

कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा

ज्ञापांक.....140.....

दिनांक...06.06.2018

भू-धारक प्रमाण पत्र

श्री राजीव रंजन, राजस्व कर्मचारी एवं श्री नरेश कुमार वर्मा, अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका- श्री प्रवीण कुमार सिंह पिता/पति- रामसेवक सिंह, ग्राम- बरसोतियाबर, पोस्ट- कोडरमा, थाना- कोडरमा, जिला- कोडरमा के निवासी है। मौजा- बाघीटांड, थाना नं0- 332, खाता नं0- 08, प्लॉट सं0- 163, रकवा- 3½ डी0 एवं 3½ डी0 कुल रकवा- 07 डी0 भूमि आवेदक को विक्रय पत्र सं0- 1277 एवं 1297 दिनांक 15.05.2017 द्वारा हासिल है, जिसकी ऑनलाईन जमाबंदी आवेदक के नाम से 67, 68/12 के नाम से कायम है। भूमि रैयती खाता की है एवं उक्त संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र सं0- 5100 दिनांक 18.12.2017 की मूल प्रति उपलब्ध करायी गयी है। भूमि पर आवेदक का दखल है।

यह प्रतिवेदन स्वामित्व के लिए वैधिक प्रतिवेदन साबित नहीं है इसका उद्देश्य सिर्फ आवेदक द्वारा धारित भूमि का योगफल ज्ञात करना है।



(Signature)
06/06/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Praveen K Singh

KODERMA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संपत्ती कर की सूचना।

Memo No.: 268691121217043618

Date : 12-12-2017

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री: PRAVEEN KUMAR SINGH C/O RAMSEVAK SINGH,

मोहल्ला : BAGITAND KODERMA KODERMA

KODERMA, 825410

9546417250

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0020000303000M0 वार्ड सं. 2 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है।

इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	35.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		35.00



नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, KODERMA NAGAR PANCHAYAT Website, www.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडीका 11.4 के अंतर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो संपत्ति कर का 50% होगा।
3. हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निम्न को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से बचना पावे।
3. पत्थेक 1 अंतर्गत वर्ष में संपत्ति कर का भुगतान वैश्विक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो कार्टाटा का 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय पूति को निश्चित समयवधि (पत्थेक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से सभासदन व्यय देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा सहाय निगम करा सकती है एवं तथ्य गतता पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fines) एवं अंतर राशि देय होगी।
7. KODERMA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संगठित इस संपत्ति कर इन इमारतों/घरों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये हाउसिंग नंभी का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाई की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Praveen kr Singh